E-mail

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सेवामें,

उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 611 /स्था0प्र0–2/स्था.अधि.2017/2018–19 दिनांक : 24 मई, 2018

विषय : उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–536/2–2–स्था0(308)/2017–18 दिनांक 23.5.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस जनपद में कार्यरत लेखाकारों का अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत पात्र कार्मिकों के गृह विकास खण्ड से सम्बन्धित सूचना पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या–551/स्था0प्र0–3/स्थाना0/2018–19 दिनांक 21.05.2018 को ई–मेल के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उक्त सूचना सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त धारा–17 (घ) से आच्छादित ग्राम्य विकास लेखा संघ, जनपद शाखा टिहरी के अध्यक्ष/सचिव पद पर क्रमशः श्री प्यार सिंह नेगी, लेखाकार तथा श्री अरूण प्रकाश ध्यानी, लेखाकार के सम्बन्ध में संस्तुति प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित कार्मिक धारा–17 (घ) के तहत् स्थानान्तरण से छूट हेतु पात्र हैं। उक्त दोनों पदाधिकारियों के द्वारा दिनांक 05 मई 2018 से संगठन में पद धारित किया गया है। स्थानान्तरण में छूट हेतु प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

भवदीय,

24.5.18

संलग्न : यथोक्त।

जिला विकास अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Phone: 01376 232150, Fax: 232080, E-mail: ddotehri1@gmail.com